उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-8

संख्या-09/2021/1976/23-8-2021-61(पी0डब्ल्यू0)अधि0/2010

लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-2870ईजी/23-लो0नि0अनु0-5-100ईजी/88, दिनांक 26.07.1990 सपठित शासनादेश संख्या-2761ईजी/23-लो0नि0-5-1992, दिनांक 31.08.1992 में निहित शर्तों के अधीन श्री ओम प्रकाश सोनकर, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को 16 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 25.01.2006 से वैयक्तिक वेतनमान रू0 3700-5000 (दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान रू0 12,000-16,500) दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अच्युतानन्द

अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(3) स्टाफ आफीसर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(4) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) संबंधित अधिकारी द्वारा स्टाफ आफीसर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) संबंधित कोषाधिकारी।

(7) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

(8) लोक निर्माण अनुभाग-3

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अच्युतानन्द)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।